राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 487/2018 ..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स वृंदावन धाम बिल्डेव (इण्डिया) प्रा0 लि0, सी–4, न्यू कॉलोनी, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन लाल शर्मा, निवासी जयपुर

बनाम

(1) राज्य सरकार जरिये उप–पंजीयक, आमेर, जिला जयपुर.
(2) राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण यादव निवासी म.नं. 37ए, तारानगर, सहजपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर.
(3) अजयमेरू हाउसिंग डवलपमेंट प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री जुनैद जिया पुत्र श्री जियाउद्दीन अहमद, खाचरियावास हाउस, गंगापोल, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/04/2018	**खण्डपीठ** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** यह निगरानी प्रार्थी मैसर्स वृंदावन धाम बिल्डेव (इण्डिया) प्रा0 लि0, जयपुर द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत–द्वितीय (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) अलवर के प्रकरण संख्या 59/2017 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.4.2018 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है। कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 16.4.2018 में प्रार्थी के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एवं मैसर्स अजयमेरू हाउसिंग डवलपमेंट प्रा0 लिमिटेड द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 एवं 36 के तहत इकरारनामे को पंजीबद्ध कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण दिनांक 12.10.2017 को करते हुए, उक्त दस्तावेज के इकरारनामे को कन्वेन्स मानते हुए कुल रूपये 1,15,26,470/– वसूल कर दस्तावेज पंजीकृत करने के आदेश दिये गये थे। आदेश दिनांक 12.10.2017 में त्रुटि होना कारित करने का निवेदन करते हुए पुनः उक्त दोनों प्रार्थियों ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 52 में भूल सुधार करने की प्रार्थना की एवं यह ध्यान में लाया गया कि उनके द्वारा निष्पादित इकरारनामे में प्रश्नगत भूमि का कब्जा भविष्य में दिये जाने का अंकन था, जबकि त्रुटिवश दिनांक 12.10.2017 के आदेश को कलेक्टर (मुद्रांक) ने कब्जा इकसरनामा के समय ही दिया जाना निष्कर्षित किया है। दोनों प्रार्थियों की ओर से प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा इसे दस्तावेजों पर प्रदर्शित भूल मानते हुए यह निर्णय किया गया कि इकरारनामे के अनुसार भूमि का कब्जा भविष्य में दिये जाने का अंकन था, अतः प्रश्नगत इकरारनामा को अनुसूची के आर्टिकल 5(सी) में कवर होना मानते हुए उसमें मुद्रांक शुल्क की पुनः गणना कर रूपये 2,81,520/– वसूल कर दस्तावेज पंजीकृत करने का आदेश दिया गया, जिसके आधार पर उप–पंजीयक द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन कर दिया गया। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 487/2018 ..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स वृंदावन धाम बिल्डेव (इण्डिया) प्रा0 लि0, सी–4, न्यू कॉलोनी, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन लाल शर्मा, निवासी जयपुर

बनाम

(1) राज्य सरकार जरिये उप–पंजीयक, आमेर, जिला जयपुर.
(2) राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण यादव निवासी म.नं. 37ए, तारानगर, सहजपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर.
(3) अजयमेरू हाउसिंग डवलपमेंट प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री जुनैद जिया पुत्र श्री जियाउद्दीन अहमद, खाचरियावास हाउस, गंगापोल, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/04/2018	उक्त निगरानीकर्ता हालांकि कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रार्थी या अप्रार्थी के रूप में पक्षकार नहीं था, परन्तु उनके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत इकरारनामा में जो भूमि विक्रय की गयी थी, उस भूमि को उक्त निगरानीकर्ता द्वारा खरीद कर लिया गया है अतः दिनांक 16.4.2018 के आदेश को अपास्त किये जाने हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के तहत निगरानी प्रस्तुत की गयी है, साथ ही यह भी आवेदन किया गया है कि दिनांक 16.4.2018 के आदेश की पालना पर स्थगन दिया जावे तथा इस बिन्दु पर बल दिया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिनांक 12.10.2017 को जो आदेश पारित करते हुए रूपये 1,15,26,470/– वसूलने के आदेश दिये गये थे, उसकी पालना करवाई जावे। उक्त तथ्यों के अधीन प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश जैन द्वारा समस्त परिस्थितियों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान कर बोर्ड, जो कि Chief Controlling Revenue Authority के रूप में भी कार्यरत है, द्वारा प्रश्नगत इकरारनामे में दिनांक 16.4.2018 के आदेश के जरिये कम मुद्रांक शुल्क वसूल करने के आदेश को संशोधित कर दिनांक 12.10.2017 को पुनर्स्थापित करने का निवेदन किया गया एवं दिनांक 16.4.2018 के आदेश से पंजीकृत हो चुके दस्तावेज के क्रियान्वयन पर भी रोक लगाई जावे। इसके साथ ही यह तथ्य भी परिज्ञान में लाया गया कि हालांकि दिनांक 16.4.2018 के आदेश अनुसार उप–पंजीयक द्वारा इकरारनामे का पंजीयन किया जा चुका है, परन्तु इस पंजीकृत दस्तावेज को पक्षकारों द्वारा सिविल विवाद में माननीय सिविल अदालत में पेश किया जा सकता है, अतः इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने के आदेश किये जावें एवं इस निगरानी को ग्रहण किया जावे। राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई ने कथन किया कि प्रथमतः मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के तहत यह निगरानीकर्ता किसी भी तरह से पीड़ित पक्षकार नहीं हैं अतः उन्हें यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है एवं यदि राज्य सरकार	

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 487/2018 ..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स वृंदावन धाम बिल्डेव (इण्डिया) प्रा0 लि0, सी–4, न्यू कॉलोनी, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन लाल शर्मा, निवासी जयपुर

बनाम

(1) राज्य सरकार जरिये उप–पंजीयक, आमेर, जिला जयपुर.
(2) राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण यादव निवासी म.नं. 37ए, तारानगर, सहजपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर.
(3) अजयमेरू हाउसिंग डवलपमेंट प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री जुनैद जिया पुत्र श्री जियाउद्दीन अहमद, खाचरियावास हाउस, गंगापोल, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/04/2018	की कोई मुद्रांक शुल्क की हानि हुई है तो इसमें राज्य सरकार की ओर से निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अलावा दिनांक 16.4.2018 के निर्णय की पालना में उप–पंजीयक द्वारा पंजीयन का कार्य पूर्ण कर दिये जाने से अब किसी भी तरह की क्रियान्विति लम्बित नहीं होने से किसी भी तरह का स्थगन दिये जाने का कोई सार नहीं रहता है। परन्तु यह भी कथन किया कि चूंकि राजस्व की हानि होने सम्बन्धी प्रकरण कर बोर्ड के ध्यान में लाया गया है अतः इसे ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में दिनांक 12.10.2017 को कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसमें इकरारनामे पर देय मुद्रांक शुल्क की राशि रूपये 1,15,26,470/– निश्चित की गयी थी परन्तु दिनांक 16.4.2018 से उक्त आदेश दिनांक 12.10.2017 को संशोधित करते हुए यह निर्णय किया गया कि उक्त इकरारनामा केवल आर्टिकल 5(सी) में ही कवर होता है क्योंकि प्रश्नगत इकरारनामे का कब्जा भविष्य में दिया जाना था अतः पूर्व के आदेश में इकरारनामा को कन्वेंस मानने की त्रुटि को संशोधित करते हुए आर्टिकल 5(सी) के अनुसार रूपये 2,81,520/– के मुद्रांक शुल्क लेने का आदेश किया गया। हालांकि निगरानीकर्ता इन निर्णयों में पक्षकार नहीं है परन्तु हगारे रागक्ष उनके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि मुद्रांक शुल्क की हानि उक्त आदेश दिनांक 16.4.2018 से घटित हुई है अतः धारा 65(2) के तहत उनकी प्रार्थना को ग्रहण कर इस आदेश को भी स्थगित किया जावे। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोनों आदेश दिनांक 12.10.2017 एवं 16.4.2018 से मुद्रांक शुल्क में भारी मात्रा में अन्तर होना प्रदर्शित है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी मुद्रांक अधिनियम की धारा 65(2) के तहत ग्रहण करते हुए सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकॉर्ड को तलब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। लगातार.....4	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 487/2018 ..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स वृंदावन धाम बिल्डेव (इण्डिया) प्रा0 लि0, सी–4, न्यू कॉलोनी, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन लाल शर्मा, निवासी जयपुर

बनाम

(1) राज्य सरकार जरिये उप–पंजीयक, आमेर, जिला जयपुर.
(2) राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण यादव निवासी म.नं. 37ए, तारानगर, सहजपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर.
(3) अजयमेरू हाउसिंग डवलपमेंट प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री जुनैद जिया पुत्र श्री जियाउद्दीन अहमद, खाचरियावास हाउस, गंगापोल, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 4 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/04/2018	प्रकरण में निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य बल इस प्रार्थना पर दिया है कि इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जावे, परन्तु विद्वान अभिभाषक को खुले न्यायालय में उनकी सूचना के अनुसार ही बताया गया कि दिनांक 16.4.2018 के आदेश के अनुसार दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है एवं अब इस आदेश की कोई पालना अवशेष नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के स्थगन की मांग करना सारहीन है। उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि अब पंजीकृत दस्तावेजों की पालना की क्रियान्विति को भी रोका जावे, उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी दस्तावेज का उप–पंजीयक द्वारा निष्पादन करने के पश्चात् वह पक्षकारों का दस्तावेज होता है एवं उसके साक्ष्य सक्षम न्यायालय में दिये जाने को कर बोर्ड द्वारा रोके जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किये जाने के आदेश किये जाते हैं। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	